राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 385/2017/जोधपुर.

मैसर्स ऐमी टेक (इण्डिया) प्रा0 लिमिटेड, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत–तृतीय, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री प्रियवंदा जोशी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 001/आरवेट/जेयूई/16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 11.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2012–13 की अवधि में घोषित बिक्रीत माल "GPRS Modem (CAMR) with inbuilt battery" पर वेट अधिनियम की कर अनुसूची–IV के पार्ट–ए की प्रविष्ठि संख्या 3 की प्रविष्ठि अनुसार 4 प्रतिशत से कर वसूल किया गया था जिसे नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे परन्तु उक्त विवादित आदेश के जरिये वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत पुनः आदेश पारित कर यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जिस माल की बिक्री एकमात्र क्रेता HCL Infosystem को की गयी है वह माल Automatic Meter Reading Equipment (AMR) ARG-18 with Sim 900A Antenas and Hardware Accessories मानकर इसे मॉडम से अन्यथा माल मानते हुए इसे कर अनुसूची–IV-A में नहीं मानकर इसे अवशिष्ठ कर दर से 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया गया एवं इसे करापवंचन का कृत्य मानते हुए दुगुनी शास्ति भी आरोपित की गई तथा ब्याज का भी आरोपण किया गया। उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की करारोपण के बिन्दु पर पुष्टि की गई परन्तु इसे करापवंचन का कृत्य

लगातार.....2

नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को मैसर्स HCL Infosystem से GPRS Modem (CAMR) with inbuilt battery सप्लाई किये जाने का ऑर्डर दिनांक 17.02.2012 को प्राप्त हुआ था उस क्रम में अपीलार्थी द्वारा हैदराबाद की फर्म मैसर्स टीम इंजीनियर्स से उक्त माल खरीद किया गया, जिसे विक्रय बिलों में Automatic Meter Reading Equipment (AMR) ARG-18 अंकित करते हुए विक्रय बिल जारी किये गये थे। उसी माल को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स HCL Infosystem को विक्रय किया गया एवं यह माल चूंकि एक GPRS Modem के रूप में जाना जाता है अतः इसे GPRS Modem with inbuilt battery के रूप में बिलों में अंकित कर विक्रय किया गया।

4. कथन किया कि खरीदकर्ता कम्पनी HCL Infosystem एक प्रतिष्ठित सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी है जिनके द्वारा उक्त माल को राजस्थान राजकीय कम्पनी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) को विक्रय किया गया है। बिक्रीत मॉडम इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर की रीडिंग को ऑटोमेटिक रूप से पढ़कर सर्वर के जरिये विद्युत निगम को प्रेषित करने का कार्य करता है। इस तरह मुख्य कथन यह किया कि अपीलार्थी द्वारा जो माल विक्रय किया गया है वह केवल विद्युत सप्लाई की गणना के लिये प्रयुक्त मीटर के डाटा को रीड करने का एक मॉडम है जो मीटर से विद्युत खर्च को रीड करके सीधे सर्वर के जरिये उसके डाटा मुख्य कार्यालय में संप्रेषित करता है। इस तरह यह वस्तु केवलमात्र एक मॉडम के रूप में ही उपयोग होता है।

5. अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस वस्तु को मॉडम मानते हुए ही 5 प्रतिशत की कर दर से करारोपण किया गया था। इस सम्बन्ध में यह भी कथन किया कि उक्त विवादित बिक्रीत वस्तु AMR - ARG-18 की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु अधिकृत चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था कि उक्त AMR ARG-18 जो कि टीम इण्डिया हैदराबाद द्वारा उन्हें विक्रय किया गया है वह वस्तुतः एक GPRS मॉडम ही है एवं इसे क्रेता एवं विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिलों में अलग नाम से विक्रय किया गया है परन्तु वह एक ही वस्तु है ना कि भिन्न–भिन्न वस्तु है। उन्होंने कथन किया कि इस प्रमाण–पत्र में यह स्पष्ट

लगातार.....3

रूप से बताया गया था कि अलग–अलग कम्पनी इस प्रोडक्ट को अलग–अलग नाम से विक्रय करती है परन्तु यह GPRS मॉडम मीटर के डाटा को ऑटोमेटिक रूप से read कर इसे ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि उनके द्वारा विक्रय किया गया माल HCL Infosystem के आदेश के अनुसार उन्हें सप्लाई किया गया था एवं वह माल HCL Infosystem द्वारा JVVNL को सप्लाई किया गया था, उस माल की प्राप्ति से पूर्व JVVNL द्वारा जांच की जाकर यह पत्र जारी किया गया कि ये GPRS मॉडम टेस्टिंग के पश्चात् उपयुक्त पाये गये हैं एवं इस मॉडम को विभिन्न कम्पनियों जैसे L & T, Genus and HPL के मीटर के साथ भी टेस्टिंग कर इसे उपयोग योग्य पाया गया है तथा इसी आधार पर JVVNL ने AMI Manufactured GPRS मॉडम को खरीद किये जाने का approval प्रदान किया था। इस तरह अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विक्रय किया गया माल AMI Manufactured GPRS मॉडम है एवं यह वस्तु मॉडम होने से कर अनुसूची–IV पार्ट–ए की प्रविष्ठि संख्या–3 में विहित मॉडम की कर दर अनुसार 5 प्रतिशत से कर वसूल कर विक्रय की गयी है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस वस्तु पर आरोपित किये गये 14 प्रतिशत कर दर की अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि किये जाने को अविधिक बताया, फलतः अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

7. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी एक तकनीकी ज्ञानयुक्त व्यक्ति नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में तकनीकी रूप से प्रदान किये गये प्रमाण–पत्रों को अस्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह विधि के विरूद्ध है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी को यह तथ्य परिज्ञान में लाया गया था कि विक्रय किया गया माल जोधपुर में ही स्थित राजकीय कम्पनी JVVNL द्वारा प्राप्त किया गया है एवं उनसे इस माल की वास्तविक प्रकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना तकनीकी जांच के स्वयं के स्तर पर ही यह अभिनिर्धारण कर दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किया गया माल मॉडम नहीं है बल्कि मॉडम से भिन्न वस्तु है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा JVVNL द्वारा दिये गये Approval certificate को बिना किसी आधार के अस्वीकार किया गया है जो यह दर्शाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल अपने निश्चित मानस के साथ ही अपीलार्थी की वस्तु को घोषित वस्तु से अन्यथा माना गया है। उन्होंने कथन किया कि बिक्रीत वस्तु को

लगातार.....4

तकनीकी रूप से किसी विपरीत प्रमाणों के बिना ही उसे घोषित वस्तु से भिन्न वस्तु माना जाना, विधि एवं न्यायिक निर्णय अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। उन्होंने कथन किया कि मॉडम को मॉडम के स्थान पर इलेक्ट्रिक मीटर इक्विपमेंट माने जाने से पूर्व कोई जांच नहीं की गयी। यह भी कथन किया कि चूंकि यह माल HCL Infosystem द्वारा JVVNL को सप्लाई किया गया था, ऐसी स्थिति में HCL Infosystem से भी जांच की जा सकती थी परन्तु ऐसी कोई जांच नहीं की गई।यह भी कथन किया कि यह माल HCL कम्पनी द्वारा JVVNL को विक्रय किया गया था तथा HCL कम्पनी द्वारा भी इसे 5 प्रतिशत की दर से ही विक्रय किया गया है जिसका खण्डन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इस विवादित वस्तु को विभिन्न कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मॉडम के रूप में 5 प्रतिशत से ही कर योग्य माना गया है, जबकि विवादित कर निर्धारण आदेश के जरिये बिना जांच के ही अन्य भिन्न मत अभिव्यक्त करते हुए इसे मॉडम न मानकर अन्तर कर का आरोपण किया गया है, जो पूर्णतया अनुचित है।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने यह कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि जब कोई वस्तु किसी विशिष्ठ प्रविष्टि में अंकित की हुई हो उस स्थिति में उस वस्तु को किसी अवशिष्ठ अनुसूची में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं :—

(a) (2008) 14 VST 259 (SC) Maruti Yeast India Pvt. Ltd. Vs. State of UP
(b) (2006) 146 STC 625 (SC) Hindustan Poles Corporation Vs. Commissioner of Central Excise
(c) (1997) 10 SC 335 Steel Authority of India Ltd. Vs. Collector of Central Excise
(d) (1997) 3 SCC 50 Poulose and Mathen Vs. Collector of Central Excise

9. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व था कि वह स्वयं प्रमाणित करते कि बिक्रीत उत्पाद क्यों अवशिष्ट दर से कर योग्य है परन्तु ऐसा कोई प्रमाण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निम्न न्यायिक निर्णयों का भी हवाला दिया गया —

(a) (1996) 10 SCC 413 Union of India Vs. Garware Nylons Ltd.
(b) (2006) 5 SCC 208 HPL Chemical Ltd.
(c) (2003) 132 STC 251 (SC) Commissioner of Central Excise Vs. Sharma Chemical Works

लगातार.....5

(d) (2005) 4 SCC 9 Dabur India Ltd. Vs. Commissioner of Central Excise, Jamshedpur

(e) (2003) 132 STC 251 Sharma Chemical Works

(f) (1996) 9 SCC 402 Shree Baidyanath Ayurved Bhavan Ltd. Vs. Collector of Central Excise

(g) (2010) 36 VST 173 (ALL) M/s Himani Limited Vs. Commissioner of Commercial Taxes, UP, Lucknow

10. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश में कर एवं ब्याज के बिन्दु पर की गई पुष्टि का समर्थन किया।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये माल GPRS Modem with inbuilt battery को मॉडम की श्रेणी में नहीं मानते हुए अन्यथा माल मानते हुए 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर अन्तर कर, ब्याज एवं इसे करापवंचन का कृत्य मानते हुए शास्ति भी आरोपित की गयी थी। प्रकरण में हमारे समक्ष निर्णय किये जाने का केवलमात्र बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो माल अपने विक्रय बिलों में घोषित कर विक्रय किया गया था वह माल उन बिलों में घोषित माल से अन्यथा प्रकृति का माल है अथवा नहीं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो विक्रय बिल जारी किये गये हैं वे रेकॉर्ड पर उपलब्ध हैं, उनमें इसे GPRS मॉडम (AMR with inbuilt battery) के रूप में घोषित किया गया है एवं समस्त माल मैसर्स HCL Infosystem को सप्लाई किया गया है। HCL Infosystem द्वारा इस माल को पुनः आगे राज्य सरकार की कम्पनी JVVNL को सप्लाई किया जाना भी रिकॉर्ड से प्रकट है। HCL द्वारा जो Purchase order उक्त अपीलार्थी व्यवहारी को दिया गया है वह भी GPRS Modem with inbuilt battery का ही दिया गया था जिसमें मात्रा एवं प्रत्येक युनिट का मूल्य भी अंकित किया हुआ है। यह माल HCL द्वारा JVVNL को सप्लाई करने से पूर्व उसकी approval हेतु JVVNL के सुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर द्वारा जांच की जाकर इस माल को GPRS मॉडम बताते हुए यह अंकित किया गया है कि यह GPRS मॉडम विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित सभी मीटर पर लगाने योग्य है। इस तरह इस तथ्यात्मक बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि यह माल JVVNL द्वारा अपने मीटर रीडिंग के लिये मॉडम के रूप में प्रयुक्त किया गया है जिसकी सप्लाई लेने से पूर्व अधिकारिक जांच करने के

लगातार.....6

पश्चात् दिनांक 28.3.2012 को पत्र जारी किया गया है जिसमें AMI Manufactured GPRS Modem ARG-18 का स्पष्ट अंकन किया हुआ है, जिसका सुसंगत भाग निम्नांकित है :—

Sub - Regarding approval for HCL make AMI manufactured GPRS modem to M/s HCL.

As reported by XEN(CTL), JVVNL, Jodhpur vide letter D.3542 dated 16.2.2012, testing of ARG-18, HCL make, manufactured by AMI Industries, Hyderabad GRPS modem submitted by M/s HCLI was carried out from 13th Feb to 15th Feb, 2012 at MT Lab, Jodhpur in conjuction with the following meters :-

1. Secure DLMS Meter (LTTVM, HTTVM)
2. Secure Normal (LTTVM)
3. Secure Large Block (HTTVM)
4. Genus DLMS (LTTVM, HTTVM)
5. L&T (LTTVM, HTTVM)

The testing report is enclosed herewith for details of testing results.

On the basis of testing results, approval of above GPRS modem may be issued to M/s HCLI by the committee of all three Superintending Engineers (IT) of Rajasthan Discom for meters tested successfully.

13. इस तरह इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं था कि यह माल मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग हेतु GPRS मॉडम के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है एवं यह माल JVVNL के खरीद आदेशानुसार HCL Infosystem से खरीद किया गया था एवं HCL Infosystem द्वारा यह माल उक्त अपीलार्थी से प्राप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन तथ्यों के अधीन ही नियमित क्षेत्राधिकार प्राप्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे मॉडम होना स्वीकार करते हुए इस पर 5 प्रतिशत से करदेयता स्वीकार की गयी थी। यह तथ्य कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश में भी अंकित किया हुआ है, परन्तु विवादित कर निर्धारण आदेश के जरिये पूर्व की स्वीकृत कर दर को त्रुटिपूर्ण घोषित करते हुए इसे मॉडम नहीं मानकर एवं इसे अवशिष्ट कर दर में स्थानान्तरित करते हुए अन्तर कर आरोपित किया गया है परन्तु ऐसा करने से पूर्व ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है कि यह माल GPRS मॉडम नहीं है जबकि उक्त कर निर्धारण अधिकारी, जोधपुर में ही पदस्थापित हैं, एवं विवादित माल JVVNL जोधपुर में ही सप्लाई किया गया है उस स्थिति में भी, जिसमें इसे GPRS मॉडम बताया हुआ था, उसकी कोई जांच या प्रतिपरीक्षण JVVNL से नहीं किया गया, ना

लगातार.....7

कोई अभिमत लिया गया, बल्कि स्वयं की अवधारणा अनुसार इसे GPRS मॉडम नहीं माना गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त माल के बिलों में इसे इक्विमेंट बताया गया है अतः इसे GPRS मॉडम नहीं माना जा सकता, कर निर्धारण अधिकारी की यह अवधारणा उचित नहीं है, क्योंकि किसी माल को वाणिज्यिक पहचान से भिन्न–भिन्न स्थानों पर अलग–अलग वाणिज्यिक नाम से भी घोषित किया जा सकता है। इस प्रकरण में बिक्रीत वस्तु को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा GPRS मॉडम से अन्यथा माने जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथन एवं चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्रों को खण्डित किये बिना, JVVNL द्वारा जारी पत्रों के सम्बन्ध में जांच किये बिना ही इसे GPRS मॉडम नहीं माना गया है, जो विधि अनुकूल नहीं है।

14. विवादित कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी की ओर से इस बिन्दु पर की गयी बहस का यह अंकन किया गया है कि कम्पनी के मैनेजर एवं टेक्निकल प्रतिनिधि द्वारा प्रमाण–पत्रों एवं माल की छायाप्रतियों के साथ में यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा एवं बेचा गया माल केवलमात्र मॉडम ही है एवं मॉडम के अलावा और कोई वस्तु नहीं है तथा मॉडम को connecting wire के जरिये मीटर में जोड़ा जाता है जो HCL कम्पनी अर्थात अपीलार्थी की क्रेता कम्पनी द्वारा ही दिया जाता है जिससे अपीलार्थी द्वारा मीटर को मॉडम से जोड़ा जाता है। अपीलार्थी द्वारा यह भी बताया गया था कि मॉडम में HCL के द्वारा ही SIM लगाई जाती है जो Airtel कम्पनी की होती है। कर निर्धारण आदेश में यह अंकित है कि Ami Tech की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विवादित वस्तु मैसर्स टीम इंजीनियर्स से खरीद की गयी है जो केवल मॉडम का ही निर्माण करते हैं तथा क्रेता व्यवहारी HCL कम्पनी एक प्रतिष्ठित आई.टी. कम्पनी है जिनके द्वारा माल का गलत वर्णन करते हुए किसी माल की खरीद नहीं की जा सकती। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त वर्णन को अंकित करने के बाद इसे किसी तरह से खण्डित नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी को यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि उनके द्वारा विक्रय किया गया माल GPRS मॉडम के अलावा और कोई माल नहीं है एवं यह माल मीटर की रीडिंग लिये जाने के लिये मॉडम के रूप में उपयोग में आता है तथा इसकी पुष्टि JVVNL के द्वारा भी की गयी है, जिसमें इसे GPRS मॉडम बताया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत की गई वस्तु को अन्यथा बताये जाने का कोई आधार नहीं है।

लगातार.....8

15. प्रकरण में खरीदकर्ता व्यवसायी HCL Infosystem द्वारा माल के बिल GPRS मॉडम के रूप में ही प्राप्त किये गये हैं जो यह प्रमाणित करता है कि क्रेता व्यवहारी द्वारा मॉडम के अलावा और कोई माल खरीद नहीं किया गया है एवं उनकी आपूर्ति चूंकि JVVNL को की जानी थी अतः उसका परीक्षण एवं निरीक्षण भी JVVNL द्वारा किया गया है एवं जारी किये गये पत्र में इसका मॉडम के रूप में परीक्षण किया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में बिक्रीत माल GPRS मॉडम ही है एवं क्रेता एवं अन्तिम उपयोगकर्ता द्वारा इसे मॉडम के रूप में ही प्राप्त किया गया है एवं इसका उपयोग GPRS मॉडम के रूप में ही होना उक्त तथ्यों से प्रमाणित है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के आदेश के पृष्ठ संख्या 11 में अंकित किया हुआ है कि यह मॉडम मीटर रीडिंग के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। अपने आदेश में मॉडम की प्रकृति का भी विवेचन निम्न प्रकार किया गया है :–

Modem Means:

Modulator-demodulator. Electronic device that allows computers to communicate over telephone wires or cable-TV cable. One computer's modem converts its digital signals (which cannot be sent efficiently over phone lines) into analog signals (which can be). The other computer's modem reconverts the analog signals (that the computer cannot understand) into digital signals (that it can). Conversion of one type of signals to another is called modulation, their reconversion to the original type is called demodulation. Modern modems work at 56 thousand bits per second (Kbps) or higher data transfer speeds, perform automatic error correction, and allow voice and fax communications.

Ami Tech Automatic Meter Reading -

Description -

Ami Tech's Automomatic Meter Reader ARG-45 is the latest of its AMR series based on GSM/GPRS communication technology and has built-in intelligence. THe ARG-45 is incompact, rugged unit mainly designed to read data from remote energy meters installed at sites of LT/HT consumers, feeders, boundary points. Solar, Winds farm, etc.

ARG-45 can supplied as an intelligent or non-intelligent transparent modem for automatic meter reading applications. The device can automatically detect most of the Indian energy meters and reads the data at configurable time intervals and schedules. Ami Tech's AMR supports data reading from various legacy meters and DLMS meters automatically and will push the data to a remote Meter Data Acquisition Systems. The AMR can be

लगातार.....9

used for push and pull type of data transfer methods. ARG-45 indigenously designed and developed by Ami Tech (India) Pvt Ltd., a leading Indian AMR manufacture. This AMR supports meter with protocols like PACT, MODBUS, IEC ANSI, DLMS/COSEM etc."

16. विकीपीडिया से प्राप्त की गई उक्त विवेचना में यह स्पष्ट किया हुआ है कि ARG is Modem for Automatic Meter Reading application. इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई ज्ञानवर्धक सूचना में ARG को Modem for AMR बताया हुआ था। अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी का बिक्रीत माल मॉडम होने से मॉडम पर उद्ग्रहणीय दर से ही करारोपण योग्य माना जाता है।

17. उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विक्रय किया गया माल GPRS Modem with inbuilt battery केवलमात्र मॉडम ही है और इसकी तकनीकी रूप से जांच किये बिना एवं JVVNL के पत्र एवं चार्टर्ड इंजीनियर के पत्रों को गलत प्रमाणित किये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मॉडम से भिन्न वस्तु मानते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण करने में त्रुटि की है, अतः इस आदेश के पूर्व नियमित क्षेत्राधिकार प्राप्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण में स्वीकार की गई कर दर 5 प्रतिशत की पुष्टि की जाती है एवं उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश में मॉडम को अन्यथा माल माने जाने के निर्णय को अपास्त किया जाता है।

18. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 11.11.2016 एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.01.2016 अपास्त किये जाते हैं।

19. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष